# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना(नागौर)
## पीठासीन अधिकारी : रिछपाल सिंह बुरड़क, आर०ए०एस०

अपील संख्या 18/2019

1– नाथू सिंह पुत्र श्री सरदार सिंह जाति राजपूत निवासी जूसरी तहसील मकराना जिला नागौर राज0।
2– हीरालाल पुत्र श्री लालदास जाति स्वामी निवासी जूसरी तहसील मकराना जिला नागौर राज0।

.....अपीलान्ट

बनाम

1–सरकार जरिये सार्वजनिक निर्माण विभाग,मकराना (नागौर)
2–मूलाराम पुत्र हरलाल राम घसवां जाति जाट
3–दाउलाल सोनी पुत्र भानमल सोनी जाति सोनी
4–गोपाल सिंह पुत्र भंवरसिंह राठौड़
5–हरिसिंह पुत्र भंवरसिंह राठौड़
6–चिरंजीलाल पुत्र श्री गणपत राम जांगिड़ जाति जागिड़
7–रेंवतसिंह पुत्र किसनसिंह राजपूत
8–कालूसिंह पुत्र बजरंगसिंह
जातिगण राजपूत
9–दानाराम पुत्र श्री पेमाराम भाकर जाति जाट निवासीगण जुसरी मकराना जिला नागौर राज0।
10–श्यामसुन्दर पुत्र गंगाराम जाति ब्राहमण निवासी जूसरी तहसील मकराना जिला नागौर राज0।
11–श्यामसुन्दर पुत्र रामकरण जाति नाई निवासी जुसरी तहसील मकराना जिला नागौर राज0।
12–अमरसिंह पुत्र सलाभ सिंह
जाति राजपूत निवासी जुसरी तहसील मकराना जिला नागौर राज0।
13– तहसीलदार मकराना, तहसील मकराना जिला नागौर राज0।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

.....रेस्पोडेन्ट

उपस्थित अधिवक्ता–

1–श्री अजीत सिंह राठौड़ अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।

**अपील अन्तर्गत धारा 75 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट**

**अपील विरूद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार मकराना बअनुवान सरकार बनाम मूलाराम वगै0 प्रकरण सं0 03/2017 दिनांक 27.08.2018 को निरस्त करने बाबत।**

**निर्णय**

**दिनांक : 14.09.21**

{1} –यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार मकराना के प्रकरण सं0 3/2017 बअनुवान सहायक अभियन्ता सार्वजनिक विभाग बनाम मूलाराम घसवा वगै0 में पारित निर्णय दिनांक 27.8..2018 के विरूद्ध पेश की है।

{2} मामलें के सक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि सहायक अभियन्ता सानिवि मकराना ने अपीलान्ट/अप्रार्थी के विरूद्ध न्यायालय तहसीलदार मकराना को रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि अपीलान्ट/अप्रार्थी ने मौजा ग्राम जूसरी के खसरा नम्बर 110/2 व 111/1 किस्म गैम0मु0 सड़क की भूमि पर रकबा 855.50 वर्गफूट पर दाउलाल सोनी पुत्र श्री भानमल सोनी ने पक्की दिवार बनाकर 1080 वर्गफुट, गोपाल सिंह, हरिसिंह पुत्र भंवरसिंह राठौड़ ने पत्थर की कच्ची दिवार चिनाई कर 1595 वर्गफुट चिरंजीलाल पुत्र गणपतराम जांगिड ने पत्थरों की कच्ची दिवार बनाकर 877.50 वर्गफुट कालूसिंह पुत्र बजरंग सिंह ने सड़क बाउण्ड्री 80 वर्गफुट पर कमरा (कोठरी) बनाकर रेंवतसिंह पुत्र किसान सिंह राजपुत ने पत्थर डालकर व लकड़ी का ढाबा रखकर 2220 वर्गफुट, लालदास स्वामी ने खाई व बाड़ लगाकर 5920 वर्गफुट नाथूसिंह पुत्र सरदार सिंह राजपुत बाड़ लगाकर 2700 वर्गफुट, श्यामसुन्दर पुत्र गंगाराम शर्मा ने पक्की दिवार बनाकर 5929.50 वर्गफुट, श्यामसुन्दर पुत्र श्री रामकरण नाई ने पक्की दिवार बनाकर 1624 वर्गफुट अमर सिंह पुत्र सलाम सिंह राजपुत 4395.50 वर्गफुट व दानाराम पुत्र पेमाराम भाकर ने दीवार बनाकर टिन शेड

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

बनाकर 1479.0 वर्गफुट पर अतिक्रमण करने से अतिक्रमीयों को अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने का निवेदन किया। सहायक अभियन्ता की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अपीलान्टगण/अप्रार्थीगण को राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत जरिये नोटिस जारी कर तलब किया गया। अपीलान्टगण/अप्रार्थीगण के नोटिस स्वयं के द्वारा हस्ताक्षर सहित व जवाब पेश किया जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर मौजुद है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्टगण/अप्रार्थीगण द्वारा मौजा जूसरी के खसरा नम्बर 110/2 व 111/1 किस्म गैर मु0 सड़क की भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर अप्रार्थीगण द्वारा किया गया अतिक्रमण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के प्रावधानों का उल्लघंन होने से अतिक्रमण की श्रेणी में पाया गया। अतः अप्रार्थीगण को अतिक्रमी माना जाकर मौजा जूसरी के खसरा नम्बर 110/2 व 111/1 किस्म गैर मुमकिन सड़क से बेदखल किये जाने का आदेश दिया गया, एवं वार्षिक लगान दर से जुर्माना कायम किया गया।

{3} –अपीलान्ट ने अपनी अपील निम्न आधार अंकित करते हुए पेश की है:–

{3}(1)–यह है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण के विरूद्ध उक्त निर्णय पारितत करने में कानूनी एवम वाक्याती भूल की है, जिससे अपील स्वीकार होने योग्य है।

{3}(2) –यह है कि यह है कि अपीलार्थी नाथूसिंह के नाम ग्राम पंचायत, जूसरी, ग्राम पंचायत समिति, मकराना द्वारा दिंनाक 20.08.1986 को सम्पूर्ण राशी प्राप्त कर पट्टा जारी करते वक्त मौके पर ग्राम पंचायत के समस्त पदाधिकारी ग्राम सेवक व सरपंच द्वारा नाप कर पट्टा बनाया। उक्त पट्टा की भुमि पर ही अपीलार्थी काबिज रहा। अपीलार्थी ने कभी भी सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया जिससे यह अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

{3}(3)–यह है कि अपीलार्थी नाथूसिंह को नोटिस प्राप्त होते ही जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी केवल पट्टा खुद जायगा पर ही काबिज हैं। इसलिए राजस्व कर्मचारियों से नाप करवा कर ही निर्णय करें, मगर अधीनस्थ न्यायालय न जवाब व दस्तावेज पर कोई गौर नहीं फरमाकर बिना साक्ष्य सफाई से उक्त आलौच्य आदेश पारित कर दिया, जबकि विधि अनूसार निर्णय करने से पूर्व अपीलार्थी को साक्ष्य सफाई का अवसर दिया जाना आवश्यक व न्याय संगत था, मगर ऐसा किये बिना ही उक्त आलौच्य आदेश पारित कर दिया जिससे भी अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

{3}(4)–यह है कि लालदास के कायम मुकाम अपीलार्थी हीरालाल स्वामी लालदास के पुत्र है। अपीलार्थी के पिता लालदास का स्वर्गवास दिंनाक 19.06.2004 को हो चुका है, जिसका उल्लेख अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस क्रमांक/राजस्व/2017/283–88 दिंनाक 14.07.2017 में स्पष्ट उल्लेख है कि "लालदास जी पुत्र श्री चुनदास जाति स्वामी निवासी जुसरी दिनांक 19.06.2004 को स्वर्गवास हो चुका है" जिस पर दो मौतबीर श्यामसुन्दर सेन व ओम प्रकाश के हस्ताक्षर दिंनाक 20.07.2017 के है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने लालदास के स्वर्गवास का कोई गौर नहीं फरमाकर उक्त आलौच्य आदेश पारित कर दिया जबकि किसी मरे हुए व्यक्ति के विरूद्ध किसी भी न्यायालय द्वारा कानूनन निर्णय मान्य नहीं होता । जिससे भी यह अपील स्वीकार होने योग्य है।

{3}(5)– यह है कि अपीलार्थी के पिता लालदास के नाम न्यायालय तहसीलदार ,परबतसर द्वारा वादित भुमि पर सनद सम्पूर्ण प्रतिफल राशि प्राप्त कर जरिये रसीद राशी राजकीय खाते में प्राप्त कर जारी कर दिया। उक्त सनद प्राप्त करने के पश्चात् अपीलार्थी का कब्जा साधिकार रहा । उक्त भूमि कभी रास्ते या सड़क की नहीं रही। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने कोई गौर नहीं फरमाकर मरे हुए व्यक्ति के विरूद्ध उक्त आलौच्य निर्णय पारित कर दिया, जो निर्णय प्रथम दृष्टया ही खारिज होने योग्य है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

{3}(6)–यह है कि वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वाके सरहद जुसरी खसरा नम्बर 110 व 112 गै0 मु0 आबादी में दर्ज है। ग्राम जुसरी में वादित रास्ता राष्ट्रीय व राज्य राजमार्ग नहीं है। सड़क सीमा का जब तक संबंधित राजस्व कर्मचारियों द्वारा नाप नहीं किया जाता, तब तक बिना साक्ष्य सफाई के आलौच्य आदेश पारित किया, जिससे अपील प्रथम दृष्टया ही स्वीकार होने योग्य है।

{3}(7)–यह है कि अपीलार्थीगण की ओर से अधिवक्ता नियुक्त कर जवाब प्रस्तुत किया,मगर अधीनस्थ न्यायालय ने ऑर्डर शीट में कहीं पर भी जवाब रेकर्ड पर लिया जाकर बाद बहस निर्णय करने का उल्लेख नहीं कर अपीलार्थीगण व उनके अधिवक्ताओं को गौर अवहेलना है जिससे भी यह अपील स्वीकार होने योग्य है।

{3}(8)–यह है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण की बिना नोटिस तामिल हुए एवम् बिना सुनवाई का अवसर दिये ही निर्णय कर दिया, जिससे भी यह अपील स्वीकार होने योग्य है।

{3}(9)–यह है कि खसरा नम्बर 110/2, 111/1, गैर मुमकिन सड़क की भूमि का सही नाप नहीं कर अपीलार्थीगण को दोषी करार किया है। जबकि अपीलार्थीगण व अन्य अप्रार्थीगण द्वारा की मौके पर नक्शे के अनुसार नाप किया जावें एवम् यदि अपीलार्थीगण ने भुमि पर अतिक्रमण किया हो तो वे सहर्ष हटाने को तैयार है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने बिना नाप चौक कराये ही आलौच्य आदेश पारित कर दिया, जो निरस्त होने योग्य है।

{3}(10)–यह है कि उक्त निर्णय बिना बहस सुने ही दिंनाक 27.08.2018 को पारित कर दिया ,जिसकी जानकारी अपीलार्थीगण को दिंनाक 27.03.2019 को प्रमाणित प्रतिलिपि लेने पर हुई, इससे पूर्व अपीलार्थीगण को उक्त निर्णय की कोई जानकारी नहीं थी। जिससे यह अपील अन्दर मियाद है। निर्णय पर भी कोई तारीख अंकित नहीं है। यदि देरी करने में कोई कानूनन कमी रहे तो उसके लिए अलग से धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का आवेदन पेश है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

{3}(11)–यह है कि अपीलार्थीगण ने सरकारी भूमि पर एक इन्च भी अतिक्रमण नहीं कर रखा है। यदि न्यायालय सक्षम राजस्व अधिकारियों की टीम गठित कर मोमिया ट्रेस नक्शा के अनुसार नाप कर निर्णय करें तो न्याय की प्राप्ति होगी, जिस हेतु भी अपीलार्थीगण सहर्ष तैयार है। इसलिए यह अपीलाधीन निर्णय विधि अनुसार निर्णय हेतु पुनः रिमाण्ड करावें।

अपीलान्ट द्वारा यह अपील दिनांक 29.03.19 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी। अपीलान्ट की अपील को दिनाक 01.04.19 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। नोटिस तामिल होने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से अप्रार्थीगण अपीलान्टगण को विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड हेतु तलबी जारी की गयी। अधीनस्थ न्यायालय का रिकोर्ड दिनांक 26.03.2021 को प्राप्त जो शामिल मिसल किया गया।

{4} – प्रस्तुत अपील को गुणावगुण पर निर्णीत करने से पूर्व उसके मियाद में होने के सम्बन्ध में विवेचन एवं अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट को निर्णित किया जाना आवश्यक है। अपीलार्थी द्वारा अपील निर्धारित समयावधि से विलम्ब से प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में उनके द्वारा लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के प्रस्तुत किया गया है। अपीलार्थी का कथन है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी उसे पूर्व में नहीं थी। इसकी जानकारी उसको निर्णय की नकल दिनांक 27.03.2019 को लेने से हुई अतः अपील अन्दर मियाद मानी जावे। निर्णय की नकल प्राप्त होने के दिन से अपील करने की मियाद एक माह होती हैं। अपीलार्थीगण ग्रामीण परिवेश के खेतीहर मजदूर व्यक्ति होने तथा खाने कमाने के लिए बाहर होने से अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी नहीं हुई तथा अपील देरी से पेश की गयी। अप्रार्थीगण/अपीलार्थीगण के प्रार्थना पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुवे धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

कर अपील करने में हुई देरी को कन्डोन किया जाकर अपीलार्थीगण की अपील को अन्दर मियाद शुमार की जाती हैं।

{5} –अपीलान्ट के अधिवक्ता अपनी बहस में अपील के तथ्यो को दोहराते हुवे तर्क दिया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय करते वक्त अपीलार्थी को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया तथा अपीलान्ट ने यह भी कथन किया कि उसको ग्राम पंचायत, जूसरी ग्राम पंचायत समिति मकराना द्वारा दिनांक 25.08.1986 को सम्पूर्ण राशी प्राप्त कर पटटा जारी कर दिया, तथा उक्त पटटा जारी करते वक्त मौके पर ग्राम पंचायत के समस्त पदाधिकारी ग्राम सेवक व सरपंच द्वारा नाप कर पटटा बनाया । उक्त पटटा की भूमि पर ही अपीलार्थी काबिज है। अपीलार्थीगण ने कभी भी सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया। अतः अपीलार्थी ने निवेदन किया कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मकराना का निर्णय दिनांक 27.08.2018 को अपास्त फरमाया जावे ।

{4} – बहस व पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड का अवलोकन किया व मनन किया गया। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अप्रार्थीगण/अपीलार्थीगण को विधिवत नोटिस दिया गया है। अपीलार्थीगण/अप्रार्थीगण का नोटिस स्वंय द्वारा तामील होकर अधीनस्थ न्यायालय को प्राप्त हुआ तथा अपीलार्थी/अप्रार्थीगण स्वयं अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध मौका रिपोर्ट दिनांक 19.05.2017 का हमनें गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया जिसके अनुसार दिनांक 19.05.2017 को कार्मिकगण श्री मंगलाराम सहायक अभियन्ता सा0नि0वि0 उपखण्ड मकराना, श्री बिरमाराम राजस्व निरीक्षक मकराना एवं आशा पटवारी हल्का जूसरी के संयुक्त जांच दल द्वारा किये गये अतिक्रमण की मौके पर नाप चौक कर जांच रिपोर्ट बनाई गई। मौका जांच रिपोट्र में स्पष्टतः अंकित है कि ग्राम जूसरी के खसरा नम्बर 110/2 व 111/1 गै0मु0 सड़क पर अतिक्रमी 1. मूलाराम पुत्र हरलाल घववां निवासी जूसरी ने पक्की दिवार व टिन शेड चढाकर 855.50 वर्ग फुट 2. दाउलाल सोनी पुत्र भानमल सोनी ने पक्की दिवार बनाकर 1080 वर्ग फुट 3. गोपाल सिंह, हरिसिंह पुत्र

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

भंवरसिंह राठौड़ ने पत्थर की कच्ची दिवार चिनाई कर 1595 वर्ग फुट 4. चिरंजीलाल पुत्र गणपतराम जांगिड़ ने पत्थरो की कच्ची दिवार बना कर 877.50 वर्ग फुट 5. कालूसिंह पुत्र बजरंग सिंह ने सड़क बाउण्ड्री 80 वर्ग फुट पर कमरा (कोठरी) बनाकर 6. रेवत सिंह पुत्र किसन सिंह राजपूत ने पत्थर डालकर व लकड़ी का ढाबा रखकर 2220 वर्गफुट 7. लालदास स्वामी ने खाई व बाड़ लगाकर 59 वर्ग फुट 8. नाथूसिंह पुत्र सरदार सिंह राजपूत ने बाड़ लगाकर 2700 वर्गफुट 9. श्यामसुन्दर पुत्र गंगाराम शर्मा ने पक्की दिवार बनाकर 5929.50 वर्गफुट 10. श्यामसुन्दर पुत्र रामकरण नाई ने पक्की दिवार बनाकर 1624 वर्गफुट 11. अमरसिंह पुत्र सलाभ सिंह राजपूत 4395.50 वर्गफुट 12. दानाराम पुत्र पेमाराम भाकर ने दीवार बनाकर टिन शेड बनाकर 1479.0 वर्गफुट पर कुल बारह व्यक्तियों/अतिक्रमियों द्वारा टिन शेड बनाकर, पक्की दिवार बनाकर, बाड लगाकर, पत्थर डालकर, लकडी का ढाबा रखकर, पक्का कमरा बनाकर कच्चा–पक्का अतिक्रमण कर रखा है। मौका रिपोट्र के संलग्न नक्शे के अध्ययन से भी पूर्णतः स्पष्ट होता है कि उक्त अतिक्रमियों द्वारा उक्त खसरान की भूमि पर अतिक्रमण किया गया है।

प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा गै0मु0 सड़क की भूमि पर नाजायज कब्जा किया गया है। उक्त मुतनाजा भूमि सार्वजनिक हितार्थ/लोक प्रयोजन एवं लोक उपयोग की भूमि है उक्त भूमि निकटवर्ती ग्राम से जुडती हुई सडक है जिस पर लोगों/वाहनों/मवेशियों का आवागमन अनवरत बना ही रहता है यदि ऐसी भूमि पर अतिक्रमण/अतिचार किया जाता है तो जनसामान्य को भारी परेशानी का सामना करना पडता हैं। इस प्रकार की भूमि पर किसी व्यक्ति का हक अधिकार नही हो सकता।

**"राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 की उपधारा (vi) के अनुसार किसी लोक प्रयोजन या लोक उपयोग के कार्य के लिए प्राप्त की गई या धारण की गई भूमि में खातेदारी अधिकार प्रोदभूत नहीं होंगे।" तथा**

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

**"राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 4 के उपनियम (i) के अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 मे उल्लेखित भूमियॉ कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन के लिए उपलब्ध नही होंगी।"**

इस प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 की उपधारा (vi) एवं राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 4 के उपनियम (i) के अनुसार ऐसी भूमियों पर किसी भी प्रकार के खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते हैं तथा किसी भी प्रकार का अतिक्रमण अथवा कब्जा नही किया जा सकता है। ऐसी भूमियों पर कब्जा होने की स्थिति में भी किसी प्रकार के खातेदारी एवं आवंटन के अधिकार अतिचारी के पक्ष में प्रोद्भूत नहीं किये जा सकते हैं।

इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट/अप्रार्थी को सम्पूर्ण साक्ष्य पेश करने व सुनवाई का अवसर देकर निर्णय किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने विधिवत कार्यवाही कर अपीलान्ट को बेदखली का आदेश पारित किया गया है। इस प्रकार उक्त विवेचनानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

:::: **आदेश** ::::

**अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 27.08.2018 को बहाल रखा जाता है।**

**(रिछपाल सिंह बुरड़क)**
**अतिरिक्त जिला कलक्टर**
**डीडवाना (नागौर)**

**निर्णय आज दिनांक 14.09.2021 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।**

**(रिछपाल सिंह बुरड़क)**
**अतिरिक्त जिला कलक्टर**
**डीडवाना (नागौर)**